दिनांक :  .०२.२०२०

**प्रति,**
**मा. केंद्रीय गृहमंत्री,**
**भारत सरकार, नई देहली.**

**विषय : देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्त और देशभर में**
**‘नागरिकता संशोधन विधि’के विरुद्ध हिंसा फैलानेवाले जिहादी**
**संगठन ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में ....**

महोदय,

‘नागरिकता संशोधन विधि’के विरुद्ध हिंसा फैलानेवाले प्रकरण में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने जिहादी संगठन ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी.एफ्.आय.) के १०८ कार्यकर्ताओं को बंदी बनाया । पी.एफ्.आई. संगठन उत्तर प्रदेश के संभल, मुजफ्फरपुरनगर, लक्ष्मणपुरी एवं शामली इन जनपदों में सक्रिय है । ‘नागरिकता संशोधन विधि’के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में दंगें कराने तथा तोडफोड करने में इस संगठन के सदस्य सक्रिय हैं । हाल ही में बिजनौर से ५ लोगों को बंदी बनाया गया । ये सदस्य शाहीनबाग आंदोलन को और भडकाने, आंदोलनकारियों को क्षुब्ध बनाने में, साथ ही आंदोलन के लिए आर्थिक सहायता का प्रबंध करने में सक्रिय बने थे । इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने ‘नागरिकता संशोधन विधि’ एवं ‘राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण’ अभियान के विरुद्ध लोगों को भडकाए जाने का काम किए जाने के प्रमाण मिले हैं । इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले ही केंद्र शासन से संगठन पी.एफ्.आई. पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की है ।

‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ एक कट्टर इस्लामिक संगठन है तथा वर्ष २००६ में इसकी स्थापना की गई थी । देश में प्रतिबंधित आतंकी संगठन ‘सिमी’के आतंकियों ने पी.एफ्.आई.के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिए जाने की घटनाएं सामने आई थीं । इस संगठन के केरल के कार्यकर्ता ‘इसिस’के लिए काम करते हैं, साथ ही ’एन्आईए’के पास इस संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा ‘लव जिहाद’के लिए प्रोत्साहन दिए जाने के प्रमाण हैं । वर्ष २०१० में इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस्लाम पंथ के प्रेषित के विरुद्ध वक्तव्य देने के कारण प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ का हाथ तोड दिया था । इस संगठन के अनेक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भाजपा, संघ, साथ ही हिन्दुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप हैं । पी.एफ्.आई. जैसे संगठनों के माध्यम से जिहादी गतिविधियां करनेवालों पर समय रहते ही लगाम नहीं लगाई गई, तो आगे जाकर देश में आतंकी गतिविधियों में वृद्धि ही होती रहेगी । अतः देश में विधि-व्यवस्था को बनाए रखने हेतु ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ।

आपका विश्वासी,

संपर्क :